07/06/14

अनुसार पत्रावली गैरहाजरी खारिज करके
व अपील का अवसर दिलाई गई। आज
अवसर देने के बावजूद न्यायालय
समय तक हाजरी नहीं देने से वाद अपील
अपील खारिज करने योग्य समझते हुए
जाते है, अपील दि जाने से निर्णय फरियाद
अनुसार होकर ही वाद है

उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़